# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :– 2348/2024**

भवानी शंकर वर्मा **–अपीलार्थी**

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य जरिये संयुक्त प्रमुख शासन सचिव, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक) कोटा।
4. ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति लाडपुरा, कोटा।

**–प्रत्यर्थीगण**

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 18.07.2024

**आदेश की दिनांक** : 13.08.2024

**उपस्थित –**

**अपीलार्थी की ओर से** : श्री साजिद अली, अभिभाषक

**समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)**
**शुचि शर्मा, सदस्य**

## आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक के पद पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, श्रीरामनगर कच्ची बस्ती, कैथून, जिला कोटा में कार्यरत है, परंतु वर्तमान में अपीलार्थी निलंबित है और उसका मुख्यालय सीबीईओ ब्लॉक लाडपुरा, कोटा है। अपीलार्थी के विरूद्ध

एफआईआर संख्या 24/2019 दर्ज की गई, जिसमें धारा 406, 420, 467, 468, 471, 504, 120बी के अंतर्गत एफआईआर दिनांक 04.09.2019 को दर्ज की गई और उसे दिनांक 07.09.2019 को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद अपीलार्थी को आदेश दिनांक 23.12.2019 के द्वारा दिनांक 04.09.2019 से निलंबित किया गया। अपीलार्थी ने बहाली के लिये दिनांक 15.03.2021 को अभ्यावेदन दिया। उनका कथन है कि अपीलार्थी पूर्व की बीमारी से पीडित है, जिसके कारण वह चल–फिर नहीं सकता। बीमारी से ठीक होने के पश्चात् अपीलार्थी ने दिनांक 08.02.2024 को कार्यग्रहण करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें उसने फरवरी, 2022 से निर्वाह भत्ता दिये जाने का अनुरोध किया। परंतु अपीलार्थी को उक्त भत्ता प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नहीं दिया गया, जो नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को निलंबन के 6 माह पूर्ण होने के पश्चात् फरवरी, 2022 से 75 प्रतिशत निर्वाह भत्ता दिया जावे एवं समस्त आदि लाभ प्रदान किये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन अध्यापक के पद पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, श्रीरामनगर कच्ची बस्ती, कैथून, जिला कोटा में कार्यरत है, परंतु वर्तमान में अपीलार्थी निलंबित है और उसका मुख्यालय सीबीईओ ब्लॉक लाडपुरा, कोटा है और प्रकरण के वर्तमान परिस्थितियों एवं अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की सहमति को ध्यान में रखते हुए हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित

तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

**(शुचि शर्मा)**
**सदस्य**

**(अनन्त भंडारी)**
**सदस्य (न्यायिक)**